मंत्रिपरिषद की बैठक
दि013.4.93 में स्वीकृत

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय ।

::- संकल्प -::

संख्या- सी0एस0I/ए0I-1010/93 1670 / पटना-15, दिनांक 15 अप्रैल, 1993 ई0

विषय:- अवमानना के वादों को न्यायालयों में संचालन करने हेतु विभागीय सचिवों को केवल वैसे वादों के लिए अधिवक्ता चयन करने की शक्ति ।

आए दिन न्यायादेशों का कार्यान्वयन विभिन्न प्रशासनिक कारणों से समय पर नहीं होने से न्यायालय का अवमानना contempt of court का प्रश्न हो जाता है । इन वादों में विभागीय सचिवों को भी रेसपाँडेंट(respondent) बनाया जाता है एवं उन्हें स्वयं प्रतिशपथ पत्र दायर तथा न्यायालय में उपस्थित भी होना पड़ता है ।

2- अवमानना के वादों में विभागीय सचिवों को न्यायालयों में आवश्यकतानुसार निजी उपस्थिति एवं समय सीमा के अन्दर प्रतिशपथ पत्र देना अनिवार्य है । ऐसा अनुभव रहा है कि विधि विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिवक्ता कन्टेम्प्ट केसों का संचालन उनके कार्यभार के कारण ठीक ठीक नहीं कर पाते है । फलस्वरूप कभी-कभी प्रशासन के लिए embarrassing and unpleasant परिस्थिति हो जाता है । अत: ऐसे सभी केसों में प्रत्येक विभाग से अपने विश्वस्त अधिवक्ता चयन engage करने की छूट की माँग प्राय: होती है । सावधानीपूर्वक सम्यक विचार के बाद सरकार केवल अवमानना केसों के लिए विभागीय सचिव को किसी अधिवक्ता को engage करने का अधिकार देती है ।

2.1- चयन किये गये अधिवक्ता की वरीयता निर्धारण करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा जो प्रतिवर्ष Senior Advocates' List प्रकाशित होता है वही आधार एवं मापदण्ड होगा ।

2.2- वैसे अधिवक्ताओं की फीस की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक केस में वित्त आयुक्त, विधि सचिव एवं संबंधित विभागीय सचिव की एक Standing Committee द्वारा स्वीकृत की जायेगी । इस समिति का convenor प्रशासी विभाग होगा ।

यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से परन्तु सिमित उद्देश्य अर्थात अवमानना से संबंधित केसों के लिए ही अगले आदेश तक प्रभावी होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष तथा विभाग के सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.4.93.
(निर्मलेन्दु चटर्जी)
सरकार के अपर सचिव ।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापम सं0-सी0एस01/ए01-1010/93 1070 /पटना-15, दि0 15 अप्रैल, 93 ई0

प्रतिलिपि संकल्प की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

15.4.93

निर्मलेन्दु चटर्जी
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापं सं0-सी0एस01/ए01-1010/93 1070 / पटना-15, दिनांक 15 अप्रैल, 93

प्रतिलिपि महाधिवक्ता, बिहार, पटना

विधि सचिव को मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 796 दिनांक 22-3-93 एवं 982 दिनांक 2-4-93 के क्रम में

योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना

आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना

सरकार के सभी सचिव, बिहार, पटना

डाईरेक्टर, स्टेट आरकाईब्स, पटना ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.4.93

निर्मलेन्दु चटर्जी
सरकार के अपर सचिव ।

बासुदेव/